2021 का विधेयक संख्यांक 151

[दि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिस (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह 1 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 27क का संशोधन ।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 27क में, "धारा 2 का खंड (viiiक)" शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 2 का खंड (viiiख)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे । 1985 का 61

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का निरसन किया जाता है । 2021 का अध्यादेश सं. 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीसी अधिनियम) को स्वापक औषधि से संबंधित विधि को समेकित करने और संशोधित करने के लिए तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित प्रचालन का नियंत्रण और विनियमन करने हेतु कठोर उपबंध बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिससे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के दुर्व्यापार से उद्भूत या उनमें इस्तेमाल की गई संपत्ति के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध किया जा सके और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ तथा उससे उपाबद्ध विषयों पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित किया जा सके । एनडीपीसी अधिनियम को वर्ष 1989, वर्ष 2001 और अंत में वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था ।

2. एनडीपीसी अधिनियम में वर्ष 2014 में संशोधन से पूर्व, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (viiiक) में उपखंड (i) से उपखंड (v) अंतर्विष्ट थे, जिनमें 'दुर्व्यापार' पद को परिभाषित किया गया था । इस खंड को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा खंड (viiiख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया था, जिसे धारा 2 में 'अनिवार्य स्वापक औषधि' को परिभाषित करते हुए नए खंड (viiiक) के रूप में अंतःस्थापित किया गया था । तथापि, अनावधानीवश एनडीपीएस अधिनियम में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा धारा 2 का संशोधन करने के समय धारा 27क में पारिणामिक परिवर्तन नहीं किया गया था ।

3. हाल ही के एक निर्णय में, माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सीआरएल. निर्देश 1/2020 न्यायालय स्वप्रेरणा से बनाम भारत संघ में अभिनिर्धारित किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27क का संशोधन करके जब तक समुचित विधायी परिवर्तन उद्भूत नहीं होता है, और उनके स्थान पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 के खंड (viiiख) के उपखंड (i) से उपखंड (v) रख नहीं दिया जाता है तब तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 के खंड (viiiक) के उपखंड (i) से उपखंड (v) लोप के प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे तथा धारा 27क में यथापेक्षित संशोधन करने के लिए समुचित कदम उठाने का निदेश दिया । अतः एनडीपीएस अधिनियम का सही निर्वचन और कार्यान्वयन करने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 27क में विसंगति को ठीक करने के लिए धारा 27क में 'खंड (viiiक)' के स्थान पर 'खंड (viiiख)' को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया था ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और शीघ्र विधान बनाना अपेक्षित था, राष्ट्रपति ने 30 सितंबर, 2021 को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्यांक 8) एनडीपीसी अधिनियम की धारा 27क में "धारा 2 में खंड (viiiख)" के प्रतिनिर्देश को "धारा 2 के खंड (viiiक)" में निर्देश से प्रतिस्थापित करके उक्त विसंगति का सुधार करने के लिए प्रख्यापित किया ।

5. संशोधन किसी नए अपराध का सृजन नहीं करता है किंतु इसमें एक विधायी घोषणा अंतर्विष्ट है कि खंड (viiiक) में निर्देश से हमेशा खंड (viiiख) में पुनः संख्यांकित तत्स्थानी उपबंध अभिप्रेत था और संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 27क में परिवर्तन करके इस विसंगति को सुधारने के लिए है, जिससे कानून के विधायी आशय को पूरा किया जा सके, जो हमेशा से ही धारा 27क में खंड (viiiख) का पठन करने का रहा है और वह पहले से ही उसमें है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 दिसंबर, 2021

निर्मला सीतारामन

उपाबंध

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) से उद्धरण

* * * * *

27क. जो कोई, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, धारा 2 के खंड (viiiक) के उपखंड (i) से उपखंड (v) तक में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप का वित्तपोषण करने में या पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लगे किसी व्यक्ति को संश्रय देने में संलग्न होगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा :

अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड।

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

* * * * *